डॉ0 ए0पी0जे0 अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश
सेक्टर-11, जानकीपुरम विस्तार योजना, लखनऊ-226031

पत्रांकः ए0के0टी0यू0 / कुस0का0 / स्था0 / 2025 / 5811 दिनांकः 03 जनवरी, 2025

सेवा में,

निदेशक / प्राचार्य,
विश्वविद्यालय से सम्बद्ध समस्त संस्थान।

विषयः मुख्य सचिव, उ0 प्र0 शासन की अध्यक्षता में दिनांक 30.12.2024 को सम्पन्न NCORD "राज्य स्तरीय समिति" की वर्ष 2024 की चतुर्थ बैठक के कार्यवृत्त में प्रदत्त निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित कराये जाने के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषय के संबंध में प्राविधिक शिक्षा अनुभाग–3, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ के पत्र संख्याः I / 862744 / 2025 / 16–3099 / 83 / 2023 दिनांक 27.01.2025 (प्रति संलग्न) का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

उक्त के संदर्भ में अवगत कराना है कि शासन के पत्र में उल्लिखित पुलिस महानिरीक्षक, एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स, उ0प्र0 लखनऊ के पत्र संख्याः DG-VII-ANTF(NCORD) MEETING)/2022/08(4) दिनांक 15.01.2025 के माध्यम से मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में दिनांक 30.12.2024 को संपन्न NCORD "राज्य स्तरीय समिति" की वर्ष 2024 की चतुर्थ बैठक का कार्यवृत्त प्रेषित करते हुए कार्यवृत्त में उल्लिखित बिन्दओं पर कार्यवाही करते हुए कृत कार्यवाही की अनुपालन आख्या ANTF की ई–मेल आई0डी0– ig-antf.lu@up.gov.in पर उपलब्ध कराये जाने की अपेक्षा की गयी है।

अतः मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन के पत्र के साथ संलग्न कार्यवृत्त के बिन्दु–04 एवं 09 पर कार्यवाही कराते हुए अनुपालन आख्या ANTF की ई–मेल आई0डी0– ig-antf.lu@up.gov.in पर उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

संलग्नकः यथोक्त।

भवदीय

(रीना सिंह)
कुलसचिव

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महानिदेशक, प्राविधिक शिक्षा, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
2. संयुक्त सचिव, प्राविधिक शिक्षा अनुभाग–3, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
3. अनुभाग अधिकारी, प्राविधिक शिक्षा अनुभाग–1, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
4. नोडल अधिकारी, फार्मेसी एण्ड मैनेजमेंट संकाय, ए0के0टी0यू0, लखनऊ।
5. अधिष्ठाता, छात्र कल्याण, ए0के0टी0यू0, लखनऊ।
6. स्टाफ आफीसर, ए0के0टी0यू0, लखनऊ को मा0 कुलपति महोदय के अवलोकनार्थ।

(रीना सिंह)
कुलसचिव

संख्या:I/862744/2025/16-3099/83/2023

प्रेषक,

चिरौंजी लाल,
संयुक्त सचिव,
उ०प्र० शासन।

सेवा में,

1. कुलसचिव, ए0के0टी0यू0, उ०प्र० लखनऊ।
2. कुलसचिव, एच0बी0टी0यू0, उ०प्र० कानपुर।
3. कुलसचिव, एम0एम0एम0यू0टी0, उ०प्र० गोरखपुर।
4. निदेशक, प्राविधिक शिक्षा, उ0प्र0, कानपुर।
5. निदेशक, समस्त राजकीय इंजीनियरिंग कालेज, उ०प्र०।

प्राविधिक शिक्षा अनुभाग-3 **लखनऊ: दिनांक:27-01-2025**

विषय- मुख्य सचिव, उ०प्र० शासन की अध्यक्षता में दिनांक 30.12.2024 को संपन्न NCORD "राज्य स्तरीय समिति" की वर्ष 2024 की चतुर्थ बैठक के कार्यवृत्त में प्रदत्त निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक पुलिस महानिरीक्षक, एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स, उ०प्र० लखनऊ के पत्र संख्या: DG-VII-ANTF(NCORD) MEETING)/2022/08(4) दिनांक 15.01.2025 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके माध्यम से मुख्य सचिव, उ०प्र० शासन की अध्यक्षता में दिनांक 30.12.2024 को संपन्न NCORD "राज्य स्तरीय समिति" की वर्ष 2024 की चतुर्थ बैठक का कार्यवृत्त प्रेषित करते हुए कार्यवृत्त में उल्लिखित बिन्दुओं का अनुपालन कराते हुए, अनुपालन आख्या ANTF की ई-मेल आई.डी.- ig-antf.lu@up.gov.in पर उपलब्ध कराये जाने की अपेक्षा की गयी है।

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया उक्त संदर्भित कार्यवृत्त में उल्लिखित बिन्दुओं का अनुपालन सुनिश्चित कराते हुए, अनुपालन आख्या ANTF की ई-मेल आई.डी.- ig-antf.lu@up.gov.in पर उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

संलग्नक: यथोक्त।

भवदीय,

Signed by
Chiraunji Lal
Date: 27-01-2025 18:45:48

(चिरौंजी लाल)
संयुक्त सचिव।

संख्या व दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि मय संलग्नक महानिदेशक, प्राविधिक शिक्षा, उ०प्र० एवं प्राविधिक शिक्षा अनुभाग-1 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

संलग्नक: यथोक्त।

आज्ञा से,

(चिरौंजी लाल)
संयुक्त सचिव।

DR(D)
1526
4599
Recd 28/1/25
Shri Ravindra 28/01/25
AR (Estt) 28/01/25
8902

178/सा०लद-3-2025

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश

कार्यालय पुलिस महानिरीक्षक, एन्टी नारकोटिक्स टास्क फोर्स

तृतीय तल (टावर 01), पुलिस मुख्यालय भवन, शहीद पथ, गोमती नगर विस्तार, लखनऊ-226002

पत्रसंख्या:DG-VII-ANTF (NCORD MEETING)/2022/08(4) दिनांक- जनवरी, 2025

सेवा में,

1- प्रमुख, गृह विभाग, उत्तर प्रदेश।	2-अपर मुख्य सचिव, एफएसडीए, उत्तर प्रदेश।
3-अपर मुख्य सचिव, आबकारी विभाग, उत्तर प्रदेश।	4- अपर मुख्य सचिव, वन विभाग, उत्तर प्रदेश।
5- अपर मुख्य सचिव, कृषि विभाग, उत्तर प्रदेश।	6- प्रमुख सचिव, समाज कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश।
7- प्रमुख सचिव,स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश।	8- प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश।
9- प्रमुख सचिव, माध्यमिक शिक्षा/ बेसिक शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश।	10- परियोजना निदेशक, उत्तर प्रदेश स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटीज (UPSACS), उत्तर प्रदेश।
11- प्रमुख सचिव, प्राविधिक शिक्षा, उत्तर प्रदेश शासन।	12- आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश।
13- ज्यूरिसडिक्शनल एडीजी, डीआरआई, उत्तर प्रदेश।	14- अपर निदेशक, आसूचना ब्यूरो(आईबी), उत्तर प्रदेश।
15- चीफ पोस्ट मास्टर जनरल,भारतीय डाक, उत्तर प्रदेश।	16- संयुक्त निदेशक, प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
17- ज्यूरिसडिक्शनल डीडीजी, एनसीबी, उत्तर प्रदेश।	18- ज्यूरिसडिक्शनल आईजी ऑफ बार्डर गार्डिंग एजेन्सी/ एसएसबी, लखनऊ।
19- उपनारकोटिक्स आयुक्त, सीबीएन, उत्तर प्रदेश।	20- डीआईजी आरपीएफ,उत्तर प्रदेश।
21- स्टेट ड्रग कंट्रोलर/ फूड सेफ्टी एण्ड ड्रग एडमिनिशट्रेशन,उत्तर प्रदेश।	22- क्षेत्रीय निदेशक, एनसीबी, महानगर, लखनऊ।
23- क्षेत्रीय निदेशक, एनसीबी, धर्मशाला बाजार, गोरखपुर।	24- निदेशक, विधि विज्ञान प्रयोगशाला, उत्तर प्रदेश।
25- क्षेत्रीय निदेशक, एनसीबी, दिल्ली।	26- क्षेत्रीय निदेशक, एनसीबी, देहरादून।

(राजेन्द्र प्रताप) निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव, प्राविधिक शिक्षा विभाग, उ०प्र० शासन।

(नरेन्द्र भूषण) अपर मुख्य सचिव, प्राविधिक शिक्षा विभाग, उ०प्र० शासन।

विषय: दिनांक- 30.12.2024 को आहूत NCORD राज्य स्तरीय समिति की बैठक की कार्यवृत्त दिनांक- 15.01.2025 के अनुपालन के सम्बन्ध में।

(अजीज अहमद) विशेष सचिव, प्राविधिक शिक्षा विभाग, उ०प्र० शासन।

महोदय,

कृपया सादर अवगत कराना है कि NCORD "राज्य स्तरीय समिति" की वर्ष 2024 की चतुर्थ बैठक मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश, शासन की अध्यक्षता में दिनांक- 30.12.2024 को सम्पन्न हुई थी, जिसकी कार्यवृत्त दिनांक- 15.01.2025 इस पत्र के साथ संलग्न है।

2. अतः अनुरोध है कि NCORD **"राज्य स्तरीय समिति" की वर्ष 2024 की चतुर्थ बैठक** की कार्यवृत्त दिनांक 15.01.2025 का अनुपालन कराते हुए, अनुपालन आख्या ANTF की ई-मेल आईडी–ig-antf.lu@up.gov.in पर उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

संलग्नकः यथोपरि।

15/01/25

(अब्दुल हमीद)
पुलिस महानिरीक्षक,
एन्टी नारकोटिक्स टास्क फोर्स,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

प्रतिलिपिः-

1. पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2. अपर पुलिस महानिदेशक, कानून एवं व्यवस्था, उत्तर प्रदेश को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
3. अपर पुलिस महानिदेशक, एस.टी.एफ., उत्तर प्रदेश को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
4. अपर पुलिस महानिदेशक, अपराध, उत्तर प्रदेश को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
5. प्रमुख स्टाफ ऑफिसर, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश, शासन को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
6. समस्त जोनल अपर पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश को सादर सूचनार्थ व आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
7. समस्त पुलिस आयुक्त, उत्तर प्रदेश को सादर सूचनार्थ व आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
8. समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, उत्तर प्रदेश को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

नार्को को–आर्डिनेशन सेन्टर(NCORD) के कियान्वयन हेतु मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में आहूत राज्य स्तरीय समिति की वर्ष 2024 की चतुर्थ बैठक दिनांक 30.12.2024 का कार्यवृत्त।

बैठक में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा प्रतिभाग किया गया :

1. डॉ0 हरिओम, प्रमुख सचिव, समाज कल्याण, उ0प्र0 शासन।
2. डॉ0 संजीव गुप्ता, सचिव, गृह, उ0प्र0 शासन।
3. श्री प्रतीश कुमार,ए0डी0डी0, एस0आई0बी0, लखनऊ।
4. श्री नीरज कुमार गुप्ता,डी0डी0जी0,एन0सी0बी0,नई दिल्ली।
5. श्री अब्दुल हमीद, पुलिस महानिरीक्षक, एण्टी नारकोटिक्स टास्क फोर्स, उ0प्र0।
6. श्री ज्ञानेश्वर त्रिपाठी, अपर आबकारी आयुक्त, उ0प्र0।
7. अर्जीम अहमद, विशेष सचिव, प्राविधिक शिक्षा, उ0प्र0 शासन।
8. श्री अन्नावि दिनेश कुमार, विशेष सचिव, तकनीकी शिक्षा, उ0प्र0 शासन।
9. श्री जितेन्द्र कुमार तोमर, कृषि निदेशक, उ0प्र0।
10. श्री गनेश कुमार, निदेशक, एस0सी0ई0आर0टी0, बेसिक शिक्षा, उ0प्र0।
11. श्री सीपू गिरि, विशेष सचिव, उच्च शिक्षा, उ0प्र0 शासन।
12. सुश्री रेखा एस0 चौहान, विशेष सचिव, एफ0एस0डी0ए0, उ0प्र0।
13. श्री प्रवीण कुमार बाली, उप नारकोटिक्स आयुक्त, सी0बी0एन0 लखनऊ।
14. डॉ0 बी0पी0 सिंह कल्याणी, निदेशक स्वास्थ्य, उ0प्र0।
15. डॉ0 ए0के0 सिंह,संयुक्त निदेशक,स्वास्थ्य उ0प्र0।
16. श्री कुँवर स्कन्द सिंह, संयुक्त आबकारी आयुक्त, उ0प्र0।
17. श्री वेद प्रकाश राय, संयुक्त सचिव, बेसिक शिक्षा, उ0प्र0।
18. श्री एन मृणाल, अपर निदेशक,एन0सी0बी0 लखनऊ।
19. डॉ0 कुलप्रकाश सिद्वार्थ, सहायक निदेशक, एन0सी0बी0 लखनऊ।
20. श्री अजय कुमार, सहायक निदेशक, एन0सी0बी0 गोरखपुर।
21. श्री देवांश शुक्ला, कमाण्डेन्ट आर0पी0एफ0, लखनऊ।
22. डॉ0 अजय कृष्ण,उप कृषि निदेशक (मुख्यालय) लखनऊ।
23. श्री सुशील कुमार तिवारी, चीफ पोस्ट मास्टर, लखनऊ।
24. श्री के0एम0 यादव,डिप्टी डायरेक्टर, एफ0एस0एल0, लखनऊ।
25. डॉ0 मनोज कुमार वर्मा, वैज्ञानिक अधिकारी, एफ0एस0एल0, लखनऊ।
26. श्री रामलोटन राजवंशी, राज्य मद्य निषेध अधिकारी उ0प्र0।
27. श्री शशि मोहन गुप्ता, उपायुक्त एफ0एस0डी0ए0, उ0प्र0।
28. श्री संजय पाण्डेय, सेकेण्ड इन कमान, एस0एस0बी0 लखनऊ।
29. सुश्री अरनिका यादव,डी0डी0 डी0आर0आई0, लखनऊ।
30. श्री दुर्गा सिंह, उपसचिव आबकारी, लखनऊ।

राज्य स्तरीय समिति के सदस्य संयोजक श्री अब्दुल हमीद, पुलिस महानिरीक्षक, एण्टी नारकोटिक्स टास्क फोर्स, उ0प्र0, लखनऊ द्वारा सर्वप्रथम मुख्य सचिव महोदय को धन्यवाद ज्ञापित करते हुए उपस्थित सभी उच्चाधिकारियों का स्वागत कर पूर्व राज्य स्तरीय समिति की बैठक के निर्देशों का विभागवार अनुपालन प्रस्तुत किया गया, जिसका विवरण निम्नवत् है–

दिनांक 17.09.2024 को मुख्य सचिव उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में आयोजित राज्य स्तरीय समिति की बैठक के कार्यवृत्त का अनुपालन :

1. निर्देशानुसार एनकार्ड जिला स्तरीय समिति की बैठकें नियमित रूप से आयोजित किये जाने के सम्बन्ध में मुख्य सचिव महोदय को अवगत कराया गया कि जनपद स्तर पर नियमित रूप से बैठकें आयोजित की जा रही हैं। वर्ष 2024 में अब तक (30.11.2024 तक) 654 जिला स्तरीय बैठकें आयोजित की गयी हैं। जनपद अलीगढ़, सुल्तानपुर व अम्बेडकरनगर द्वारा निर्धारित संख्या से काफी कम संख्या में बैठकें की गयी है। नियमित रूप से जिला स्तरीय बैठकें आयोजित कराये जाने हेतु अध्यक्ष महोदय द्वारा निर्देशित किया गया।

(कार्यवाही–ANTF / जनपदीय पुलिस)

2. पूर्व बैठक में मुख्य सचिव महोदय द्वारा प्रदेश के प्रत्येक जनपद में चिन्हित हॉट–स्पॉट के विरूद्ध कार्यवाही कर उन्हें समाप्त किये जाने के निर्देश के कम में अध्यक्ष महोदय को अवगत कराया गया कि प्रदेश में पूर्व में 212 हॉट–स्पॉट चिन्हित किये गये थे। कार्यवाही के उपरान्त 231 अभियुक्तों की गिरफ्तारी व 607.11 किलोग्राम मादक पदार्थो की बरामदगी की गयी। 65 हॉट–स्पॉट शेष है।

मुख्य सचिव महोदय द्वारा निर्देशित किया गया कि प्रदेश में स्कूल, कालेज, हॉस्टल इत्यादि के आस–पास चिन्हित हॉट–स्पॉट के विरूद्ध प्राथमिकता के आधार पर नियमानुसार कार्यवाही करायी जाये तथा ऐसे स्थान जहॉ पर हॉट–स्पॉट बनने की आशंका है, उन स्थानों पर विशेष ध्यान दिया जाये।

(कार्यवाही–ANTF/समस्त पुलिस कमि0 / जनपदीय पुलिस)

3. प्रदेश में अवैध मादक पदार्थो के विरूद्ध कार्यवाही कर अधिकाधिक बरामदगी सुनिश्चित कराने हेतु दिये गये निर्देश के कम में एएनटीएफ मुख्यालय द्वारा पत्र दिनांक–15.10.2024 द्वारा प्रदेश के समस्त पुलिस आयुक्त एवं पुलिस अधीक्षकों को निर्देश जारी किये गये हैं। वर्ष 2024 में नवम्बर माह तक 46,773.24 किलोग्राम अवैध मादक पदार्थ की बरामदगी की गयी है। एएनटीएफ द्वारा विगत वर्षो के सापेक्ष वर्ष 2024 में अच्छी कार्यवाही करते हुये अब तक 12693.38 किलोग्राम अवैध मादक पदार्थो की बरामदगी की गयी है जिसका अनुमानित मूल्य 130 करोड़ 88 लाख 32 हजार रू0 है। अध्यक्ष महोदय द्वारा अवैध मादक पदार्थो की अधिकाधिक बरामदगी सुनिश्चित कराने हेतु निर्देशित किया गया तथा यह भी निर्देशित किया गया कि बरामदगी का अनुमानित मूल्य नियमानुसार एन0सी0बी0 द्वारा निर्धारित मानक के अनुसार एफ0एस0एल0 द्वारा आगणित कराकर अंकित किया जाये।

(कार्यवाही–गृह विभाग / ANTF/FSL/NCB)

4. निर्देशानुसार 25 सितम्बर से 2 अक्टूबर 2024 के मध्य नशा विरोधी जागरूकता अभियान सफलतापूर्वक चलाया गया, जिसके लिये स्कूल, कालेज, शिक्षण संस्थान में जागरूकता कार्यक्रम व शपथ, रैलियां प्रतियोगितायें, होर्डिंग पम्पलेट वितरण, योगा, आदि के द्वारा प्रचार–प्रसार किया गया। नशे के विरूद्ध धर्माचार्यो के माध्यम से प्रचार–प्रसार व जन जागरण कराया गया। सिनेमा घरों में नशा–मुक्ति संदेश का प्रसारण व ट्रैफिक कण्ट्रोल रूम, रेडियों चैनलों द्वारा मादक पदार्थ के विरूद्ध प्रचार–प्रसार किया गया। अध्यक्ष महोदय द्वारा निर्देशित किया गया कि सभी सम्बन्धित विभागों द्वारा नशा–मुक्ति

जागरूकता अभियान नियमित रूप से आयोजित कराये जाते रहें ताकि समाज में नशे के विरूद्ध आमजन जागरूक रहे।

(कार्यवाही–गृह विभाग/समाज कल्याण/आबकारी/शिक्षा विभाग/ANTF)

5. सीबीएन व कृषि विभाग द्वारा आपसी समन्वय स्थापित कर प्रदेश में अफीम की फसल का डाटा एएनटीएफ से नियमित रूप से साझा किये जाने व इसके आधार पर नियमानुसार कार्यवाही के निर्देश के क्रम में अध्यक्ष महोदय को अवगत कराया गया कि कृषि विभाग द्वारा अफीम फसल का उपलब्ध कराया गया डाटा सम्बन्धित जनपदों को एएनटीएफ द्वारा पत्र दिनांक–15.10.2024 द्वारा भौतिक सत्यापन व विधिक कार्यवाही हेतु प्रेषित किया जा चुका है। अध्यक्ष महोदय द्वारा निर्देशित किया गया कि कृषि विभाग द्वारा उपलब्ध कराये गये डाटा के आधार पर अफीम की फसल का भौतिक सत्यापन कराते हुये नियमानुसार विधिक कार्यवाही नियमित रूप से सुनिश्चित की जाए।

(कार्यवाही–कृषि विभाग/सीबीएन/ANTF/सम्बन्धित जनपदीय पुलिस प्रभारी)

6. एएनटीएफ द्वारा निरोधात्मक कार्यवाही करते हुये पिट एनडीपीएस एक्ट के अन्तर्गत 07 प्रकरण चिन्हित किये गये जिनमें 05 में निरोधादेश पारित हो चुका है। प्रदेश में जनपदीय पुलिस द्वारा पिट एनडीपीएस के अन्तर्गत चिन्हित 16 प्रकरणों में से 08 में निरोधादेश पारित कराया जा चुका है। एनडीपीएस एक्ट की धारा–68 ई व एफ के अन्तर्गत वित्तीय जाँच कर एएनटीएफ द्वारा अब तक लगभग 50.75 लाख रू0 अनुमानित मूल्य की सम्पत्ति जब्त की गयी है। एएनटीएफ द्वारा पत्र दिनांक–15.10.2024 के माध्यम से प्रदेश के समस्त कमिश्नरेट/जनपदों के पुलिस आयुक्त/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों तथा राजकीय रेलवे पुलिस के समस्त पुलिस अधीक्षकों को अपने–अपने कार्य क्षेत्र में अभ्यस्त अपराधियों के विरूद्ध पिट एनडीपीएस एक्ट के अन्तर्गत कार्यवाही व अपराधियों की निगरानी हेतु हिस्ट्रीशीट खुलवाने तथा एनडीपीएस एक्ट की धारा–68 ई व एफ में सम्पत्ति जब्तीकरण कराने हेतु निर्देशित किया गया है। एएनटीएफ द्वारा 35 नारको अभियुक्तों के विरूद्ध हिस्ट्रीशीट खुलवायी गयी हैं। अध्यक्ष महोदय द्वारा निर्देशित किया गया कि पिट एनडीपीएस एक्ट एवं एनडीपीएस एक्ट की धारा–68 ई व एफ के अन्तर्गत अधिकाधिक कार्यवाही सुनिश्चित करायी जाये।

(कार्यवाही–ANTF)

7. (i) एएनटीएफ हेतु पदों के सृजन के सम्बन्ध में शासन में विचाराधीन प्रस्ताव की स्वीकृति हेतु प्राथमिकता के आधार पर कार्यवाही हेतु अध्यक्ष महोदय द्वारा सचिव, गृह को निर्देशित किया गया।

(ii) एएनटीएफ के थानों हेतु विशेष न्यायालयों को अधिसूचित किये जाने के सम्बन्ध में सचिव, गृह विभाग द्वारा बताया गया कि इस सम्बन्ध में गृह विभाग द्वारा माननीय उच्च न्यायालय को पत्र लिखा गया है। अध्यक्ष महोदय द्वारा प्रकरण में सचिव, गृह को अनुस्मारक प्रेषित कराने हेतु निर्देशित किया गया।

(iii) एनसीबी असिस्टेंन्स के अन्तर्गत एएनटीएफ प्रमुख के नाम स्टेट नोडल एकाउण्ट खोले जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही शासन स्तर पर लम्बित है। सचिव, गृह द्वारा बताया गया बताया गया कि कार्यवाही शीघ्र पूर्ण करा ली जायेगी। अध्यक्ष महोदय द्वारा पत्रावली प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया।

(iv) एएनटीएफ के पुरस्कार सम्बन्धी प्रकरण में पुलिस महानिरीक्षक, एएनटीएफ द्वारा बताया गया कि कार्पस फण्ड के सम्बन्ध में एन0सी0बी0 से सूचना प्राप्त कर अग्रेत्तर कार्यवाही की जायेगी।

(v)एएनटीएफ के पुलिस थानों हेतु आवंटित भूमि के सम्बन्ध में मानकीकरण किया जाना शासन स्तर पर विचाराधीन है।

अध्यक्ष महोदय द्वारा निर्देशित किया गया कि उपरोक्तानुसार लम्बित प्रकरणों में अपेक्षित कार्यवाही शीघ्र पूर्ण करायी जाये।

(कार्यवाही–गृह विभाग/ANTF)

8. एन0सी0बी0 द्वारा गृह विभाग से समन्वय स्थापित कर प्रदेश के समस्त जेल(कारागार) हेतु 'निदान पोर्टल' पर नारको अपराधियों का सही व पूर्ण डाटा भरने के निर्देश के क्रम में अध्यक्ष महोदय को बताया गया कि क्षेत्रीय निदेशक एन0सी0बी0 लखनऊ के पत्र दिनांक–04.12.2024 के माध्यम से अपर मुख्य सचिव, गृह विभाग, लखनऊ को निदान पोर्टल पर आ रही कमियों का उल्लेख करते हुये इस सम्बन्ध में कारागार विभाग को निर्देशित करने का अनुरोध किया गया है। अध्यक्ष महोदय द्वारा निर्देशित किया गया कि अपेक्षित कार्यवाही शीघ्र पूर्ण करायी जाये।

(कार्यवाही–एन0सी0बी0/गृह विभाग/कारागार विभाग)

9. विभिन्न विभागों द्वारा नियमित रूप से नशा मुक्ति जागरूकता अभियान आयोजित कराये जाने के निर्देश के क्रम में अध्यक्ष महोदय को अवगत कराया गया कि आबकारी विभाग द्वारा नशा मुक्ति जागरूकता अभियान के अन्तर्गत स्वास्थ्य विभाग, समाज कल्याण विभाग, बेसिक शिक्षा एवं माध्यमिक शिक्षा विभाग के आपसी सहयोग एवं सहकारिता से प्रदेश में ई–प्रतिज्ञा, नुक्कड़ सभा/नाटक, गोष्ठी जन जागरूकता रैली आदि कार्यक्रमों के माध्यम से 3614 कार्यक्रम आयोजित कराते हुये 404526 व्यक्तियों को उक्त कार्यक्रमों में शपथ दिलायी गयी। वर्ष 2024 में 25 सितम्बर से 02 अक्टूबर के मध्य विभिन्न नशा मुक्ति जागरूकता अभियान जैसे 93–शिक्षात्मक खेलकूद प्रतियोगतायें, 60–वालपेंटिग, 21– होर्ल्डिंग्स, 20–रैलियां, 64–गोष्ठियां, 30–प्रदर्शनियां, 27–सांस्कृतिक कार्यक्रम, 01–प्रिन्ट इलेक्ट्रानिक मीडिया, 32–आकाशवाणी के माध्यम से नशा विरोधी संदेश, 2,00,000–मोबाइल एस0एम0एस0 इत्यादि के माध्यम से प्रचार–प्रसार किया गया है। अध्यक्ष महोदय द्वारा निर्देशित किया गया कि नियमित रूप से नशा मुक्ति जागरूकता अभियान/कार्यक्रम आयोजित कराये जाते रहे।

(कार्यवाही–आबकारी विभाग/एन0सी0बी0/ANTF/
स्वास्थ्य विभाग/समाज कल्याण विभाग/शिक्षा विभाग)

10. उप नारकोटिक्स आयुक्त, सी0बी0एन0 द्वारा बताया गया कि प्रतिवर्ष अफीम की खेती किये जाने हेतु (अफीम फसल वर्ष 01 अक्टूबर से 30 सितम्बर तक) भारत सरकार की अफीम नीति के अन्तर्गत पात्र किसानों को चिन्हित कर, लाइसेंस प्रदान किया जाता है। बताया कि 30 अक्टूबर 2024 को पॉलिसी नोटिफाय हो गयी है जिसके अन्तर्गत प्रदेश के 2 जनपदों बाराबंकी व बरेली में 4800 पट्टे दिये गये हैं। यह भी बताया कि विभिन्न विश्वविद्यालयों से समन्वय के उपरांत नया 'सुजाता बीज' बुआई हेतु लाइसेंस आवंटित हो चुके है। अध्यक्ष महोदय द्वारा निर्देशित किया गया कि सी0बी0एन0 द्वारा अफीम फसल की पैमाइश करते समय कृषि विभाग द्वारा उपलब्ध कराये गये कॉप–सर्वे डाटा का भी आवश्यकतानुसार उपयोग करते हुये सत्यापन सुनिश्चित किया जाये।

(कार्यवाही–सी0बी0एन0/कृषि विभाग/ANTF)

11. नशे के विरूद्ध जन जागरूकता हेतु प्रचार–प्रसार व कोडीन कफ–सीरप की खपत के आकलन हेतु आबकारी विभाग द्वारा एफ0एस0डी0ए0 से डाटा साझा किये जाने के निर्देश के कम में बताया गया कि आबकारी विभाग द्वारा समय–समय पर विशेष प्रवर्तन अभियान के अन्तर्गत प्रशासन, पुलिस ड्रग निरीक्षक एवं आबकारी की संयुक्त टीमें गठित करते हुये नशीली दवाओं की बिकी एवं परिवहन के विरूद्ध प्रभावी प्रवर्तन कार्यवाही की जाती है, जिसके अन्तर्गत जनपद स्थित मेडिकल स्टोर्स का आकस्मिक निरीक्षण किया जाता है।

अध्यक्ष महोदय को बताया गया कि खाद्य सुरक्षा एवं औषधि विभाग द्वारा अपने पत्र दिनांक–06.12.2024 के माध्यम से अवगत कराया गया कि कोडीनयुक्त एवं एनडीपीएस एक्ट से सम्बन्धित अन्य औषधियों पर दिनांक–01.04.2024 से दिनांक–31.10.2024 के मध्य 10 अभियोग पंजीकृत करते हुये 36 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया व अनुमानित 18.875 करोड़ रू0 मूल्य की औषधि सीज की गयी है।

अध्यक्ष महोदय द्वारा कोडीन कफ–सीरप के खपत का आकलन/नियमित निगरानी करते हुये विधिक कार्यवाही करने हेतु एफ0एस0डी0ए0/आबकारी को निर्देशित किया गया।

(कार्यवाही–एफ0एस0डी0ए0/आबकारी विभाग)

बैठक सधन्यवाद समाप्त हुई।

(अब्दुल हमीद)
पुलिस महानिरीक्षक,
एण्टी नारकोटिक्स टास्क फोर्स,
उ0प्र0, लखनऊ।

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।
कार्यालय पुलिस महानिरीक्षक, एण्टी नारकोटिक्स टास्क फोर्स,
तृतीय तल(टावर–1), पुलिस मुख्यालय भवन, शहीद पथ, लखनऊ–226002

संख्याःडीजी–सात–एन्कार्ड बैठक(राज्य स्त0)2023/8(4) दिनांकःजनवरी , 2025

<u>उक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :</u>

1. प्रमुख स्टॉफ आफिसर, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
2. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
3. प्रमुख सचिव, गृह विभाग, उ0प्र0 शासन।
4. अपर मुख्य सचिव, एफ0एस0डी0ए0 उ0प्र0 शासन।
5. अपर मुख्य सचिव, आबकारी विभाग, उ0प्र0
6. अपर मुख्य सचिव, वन विभाग उ0प्र0।
7. अपर मुख्य सचिव, कृषि विभाग उ0प्र0।
8. प्रमुख सचिव, स्वाथ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, उ0प्र0 शासन।
9. प्रमुख सचिव, समाज कल्याण विभाग, उ0प्र0 शासन।
10. प्रमुख सचिव, प्राविधिक शिक्षा, उ0प्र0 शासन।
11. प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।
12. प्रमुख सचिव, माध्यमिक शिक्षा/बेसिक शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।
13. आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश।

14. ज्यूरिसडिक्शनल एडीजी, डीआरआई, उत्तर प्रदेश।
15. उपनारकोटिक्स आयुक्त, सीबीएन, उ0प्र0, लखनऊ।
16. डीआईजी, आरपीएफ, उ0प्र0, लखनऊ।
17. चीफ पोस्ट मास्टर जनरल, भारतीय डाक, उ0प्र0।
18. स्टेट ड्रग कंट्रोलर/फूड सेफ्टी एण्ड ड्रग एडमिनिशट्रेशन, उ0प्र0।
19. निदेशक विधि विज्ञान प्रयोगशाला, उ0प्र0।
20. ज्यूरिसडिक्शनल आईजी ऑफ बार्डर गार्डिंग एजेन्सी/एसएसबी, लखनऊ।
21. ज्यूरिसडिक्शनल डीडीजी, एनसीबी, उत्तर प्रदेश।
22. क्षेत्रीय निदेशक, एनसीबी, उ0प्र0, लखनऊ।
23. अपर निदेशक, आसूचना ब्यूरो(आईबी), उ0प्र0।
24. संयुक्त निदेशक, प्रवर्तन निदेशालय(ईडी), उ0प्र0, लखनऊ।
25. परियोजना निदेशक, यू0पी0एस0ए0सी0एस0।
26. क्षेत्रीय निदेशक, एनसीबी, गोरखपुर।